अनुलग्नक

मई, 2023 माह हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों पर मासिक सारांश।

1. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तृतीय पक्ष सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ+ के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ++ और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापट्टनम, कराड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वॉटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. 3,326 से अधिक शहरों में 67,407 शौचालयों को गूगल मैप्स पर "एसबीएम शौचालय" के नाम से देखा जा सकता हैं।

iii. स्वच्छता ऐप महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा हैं, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उन्हें ऐप में दर्ज करा सकते हैं, ताकि नगर निगम द्वारा उनका समाधान किया जा सके। स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का 94% से अधिक है।

iv. जीएफसी 2022 का परिणाम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के रूप में 01 अक्टूबर 2022 को घोषित किया गया था। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 11 है, 3-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या199 है और 1-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 234 है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने एसबीएम-यू 2.0 के तहत एसडब्ल्यूएम और यूडब्ल्यूएम हेतु तकनीकी सहायता के लिए 1 मई, 2023 को राइट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

vi. माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 3 सप्ताह की अवधि के लिए 'मेरी लाइफ, मेरा स्वच्छ शेहर' अभियान शुरू किया, जिसमें 17,000+ आरआरआर केंद्र स्थापित किए गए हैं और 25 लाख नागरिक केंद्रों में योगदान देने के लिए एकत्रित हुए।

vii. स्वच्छ नदियों के लिए स्वच्छ शहर विषय पर 26 मई, 2023 को 6वीं स्वच्छ वार्ता वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया।

II. स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

i. 180,176 करोड़ रुपये की 7,865 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 1,07,531 करोड़ रुपये की 5,773 परियोजनाएं पहले ही पूर्ण की जा चुकी हैं।

ii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए संसद की सलाहकार समिति की एक बैठक 22 मई, 2023 को माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में पणजी में आयोजित की गई थी। प्रस्तुति में स्मार्ट सिटी मिशन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया जिसमें नागरिकों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं की विविधता, मिशन के तहत शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के परिणाम, जिन्होंने नागरिकों को प्रभावित किया है, शहरी प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग और स्मार्ट सिटी मिशन से प्राप्त प्रमुख अनुभव शामिल हैं।

iii. सरकारी वित्त अधिकारी संघ (जीएफओए जो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सार्वजनिक वित्त अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है) के सदस्यों के साथ भारतीय शहरों की एक बैठक जीएफओए और इसकी संरचना के परिचय के रूप में और भारत में वित्त विशेषज्ञों के लिए एक समान संगठन बनाने पर चर्चा शुरू करने के लिए आयोजित की गई थी।

iv. दूसरी पीयर लर्निंग कार्यशाला राउरकेला में 18-19 मई, 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के तहत 10 विजेता शहरों बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़, ग्रेटर वारंगल, इंदौर, जबलपुर, काकीनाड, कोच्चि, कोहिमा, राउरकेला और वडोदरा को एक साथ लाया गया था। प्रतिभागियों ने ओडिशा राज्य के अन्य मिशनों के साथ अभिसरण में, नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के तहत विकसित राउरकेला में परियोजनाओं का भी दौरा किया।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए माननीय संसद सदस्यों की एक स्थायी समिति की बैठक 30 मई 2023 को आयोजित की गई थी। इस मंत्रालय ने चार स्मार्ट शहरों - अमरावती, पटना, तिरुवनंतपुरम और पासीघाट के साथ उनके स्मार्ट शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन का विवरण जैसे शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं और आगामी उद्देश्यों के रूप में प्रस्तुत किया।

vi. मंत्रिमंडल ने 31 मई, 2023 को सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सिटीज़ 2.0) के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिटीज़ 2.0, एक चार वर्षीय कार्यक्रम है, जिसकी कल्पना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी), क्रेडिटनस्टाल्ट फ्योर वीडराउफबाऊ (केएफडब्ल्यू), यूरोपीय संघ (ईयू) और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के साथ साझेदारी में की गई थी। इसमें शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-उन्मुख सुधार संबंधी कार्य, और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण और ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ सर्कुलर

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं में सहायता करने की परिकल्पना की गई है। सिटीज़ 2.0 के वित्तपोषण में एएफडी और केएफडब्ल्यू (ईयूआर 100 मिलियन प्रत्येक) से 1760 करोड़ रुपये (ईयूआर 200 मिलियन) का ऋण और ईयू से 106 करोड़ रुपये (ईयूआर 12 मिलियन) का तकनीकी सहायता अनुदान शामिल होगा।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 77,640 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को अंतिम रूप दिया गया है। आज की स्थिति के दौरान, 83,428 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है।

अमृत के कार्यान्वयन में प्रगति: कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अतिरिक्त राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 38,152 करोड़ रुपए की 4,946 परियोजनाओं के लिए कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 44,739 करोड़ रुपए की 952 परियोजनाओं के लिए कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर/चल रही अमृत परियोजनाओं में लगभग 71,768 करोड़ रुपये का वास्तविक कार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 92% वास्तविक कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एएंडओई), सुधार प्रोत्साहन और 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने' और 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और 25 चयनित शहरों में टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) पर उप-योजनाओं के तहत 38,134 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

iii. अमृत 2.0 के लिए शीर्ष समिति की सातवीं बैठक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 1 मई 2023 को सचिव, आवसन और शहरी कार्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना / राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई / एनयूएलएम)

i. वर्तमान वित्तीय वर्ष के मई महीने के दौरान 6,622 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं; 2,179 एसएचजी को परिक्रामी निधि दी गई, व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 3,723 लाभार्थियों को ऋण संबंधी सहायता प्रदान की गई और 6,274 एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को ऋण प्रदान किए गए।

V. प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि) के तहत, 65,66,351 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए 48,53,365 स्वीकृतियां दी गई हैंऔर 46,58,390 ऋण संवितरण किए गए हैं।

ii. मई, 2023 के माह के दौरान मिशन के तहत कुल 56.7 लाख रू. जारी किए गए हैं।

VI. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सबके लिए आवास (एचएफए)

i. स्थापना के बाद से, मिशन ने 1.20 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 110.72 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 74.51 लाख आवासों को पूर्ण कर दिया गया है/सुपुर्द कर दिया गया है।

VII. आवास

i. नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, नागालैंड नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

ii. 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (नियमित-26, अंतरिम-06) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय और सिक्किम ने प्राधिकरण स्थापित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।

iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भू-संपदा अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित-24, अंतरिम-04) (अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं)।

iv. 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों ने आरईआरए के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइटों का संचालन किया है। *(अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर चालू करने की प्रक्रिया में हैं)।*

v. देश भर में आरईआरए के तहत 1,07,311 भू-संपदा परियोजनाएं और 76,985 भू-संपदा एजेंट पंजीकृत हैं।

vi. देश भर में भू-संपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,10,817 शिकायतों का निपटान किया गया है। मार्च 2023 माह के दौरान 4326 परियोजनाएं और 4323 एजेंट पंजीकृत किए गए हैं।